Azadi Ka Amrit Mahotsav

भीम BHIM

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः—प 17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर, दिनांकः 2 NOV 2022

अधिसूचना

नगरीय विकास विभाग के लिए गठित मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 30.08.2022 के बिन्दु संख्या—24 पर लिये गये निर्णय एवं राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—क की उपधारा (4) एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र(कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 9 के उप नियम (1) एवं नियम 16 के उपनियम (4) के अन्तर्गत नगर पालिकाओं के गठन से पूर्व या मास्टर प्लान लागू होने से पूर्व जो भी पहले हो में अवस्थित कृषि भूमियों, जिनका दिनांक 31.12.2021 से पूर्व अकृषि उपयोग होकर कॉलोनियां बस चुकी है एवं ऐसी कॉलोनियों के ले—आउट प्लान स्वीकृत हो चुके है अथवा सुओ—मोटो सर्वे तथा धारा 90—ए(8) की कार्यवाही कर ले—आउट प्लान/सर्वे प्लान अब स्वीकृत किये जाने है, उन सभी में 120 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों की प्रीमियम दरें प्रशासन शहरों के संग अभियान अवधि में निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:—

क्र.सं.	प्रयोजन	क्षेत्रफल	नगर पालिका क्षेत्र में प्रीमियम दरें
1	आवासीय	120 वर्गमीटर	5 रूपये प्रति वर्गमीटर

लीज राशि आवासिक दर (उक्त प्रीमियम दरों की चार गुना) पर 10 वर्ष की एक मुश्त राशि फ्री—होल्ड हेतु एवं 500 रूपये (जी+1) की भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क लिया जाकर फ्री—होल्ड पट्टा भवन निर्माण स्वीकृति के साथ दिया जावे।

यह अधिसूचना वित्त विभाग की आई डी संख्या 1022005751 दिनांक 28.10.2022 से अनुमोदित है।

नोटः— 120 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल हेतु अधिसूचना दिनांक 22.09.2022 के अनुसार प्रीमियम दरें देय होगीं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(कुन्जी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

CamScanner

प्रतिलिपिः– निम्नाकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान।
4. निजीस सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. समस्त उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
10. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका सस्तत राजस्थान–––।
11. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त..।
12. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक मे प्रकाशन कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण करा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
13. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

CamScanner